न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 124/2019/दावा

1. सरोज देवी पत्नि स्व0 श्री राधेश्याम उर्फ राजकुमार जाति ब्राहमण निवासीनी वार्ड नम्बर 8 कुण्डा वाली ढाणी तन नाडा–चारणवास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।
2. हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम उर्फ रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 8 कुण्डा वाली ढाणी तन नाडा–चारणवास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार/भूमि धारक जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. **श्री राजेन्द्र सिंह रणवां, वकील वादीगण ओर सें।**

निर्णय दिनांक – **27.12.2019**

1. वादपत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमिया ख.नं. 294 रकबा 0.1300 है0, ख.नं. 297 रकबा 0.0100 है0, ख.नं. 298 रकबा 0.0600 है0, ख.नं. 299 रकबा 0.0200 है0, ख.नं. 300 रकबा 0.0700 है0, ख.नं. 301 रकबा 0.0200 है0, ख.नं. 302 रकबा 3.5500 है0, ख.नं. 303 रकबा 3.2800 है0, ख.नं. 304 रकबा 1.2600 है0, ख.नं. 305 रकबा 0.9600 है0, ख.नं. 306 रकबा 0.3000 है0, ख.नं. 310 रकबा 2.7400 है0, ख.नं. 311 रकबा 0.1000 है0, ख.नं. 312 रकबा 0.0100 है0, ख.नं. 313 रकबा 0.5700 है0, ख.नं. 314 रकबा 0.0700 है0, ख.नं. 315 रकबा 3.7900 है0, ख.नं. 316 रकबा 3.8600 है0, ख.नं. 342 रकबा 0.1000 है0 एवं ख.नं.343 रकबा 7.9500 है कुल किता 20

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 28.8500 है0 वाके ग्राम नाडा पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में पुश्तेनी अवस्थित रही है जिसमें वादीगण का हक, हिस्सा 1/20, 1/20 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थीगण/वादीगण के नाम से ग्राम नाडा की उपरोक्त भूमियो में वादिया संख्या एक के पति व वादी संख्या 2 के पिता का नाम राजकुमार दर्ज है। जबकि प्रार्थीया/वादिया संख्या एक के पति व वादी संख्या 2 के पिता का सही व वास्तविक नाम राधेश्याम पुत्र रामकुमार है। वादीगण के पूर्वज उक्त राधेश्याम पुत्र रामकुमार को दोनों ही नाम यथा राधेयाम व राजकुमार के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है। वादीगण के अन्य दस्तावेजात यथा– परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विधालय रिकार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में इनके पति/पिता का नाम राधेश्याम ही दर्ज है। जबकि राधेश्याम व राजकुमार एक ही व्यक्ति के नाम है परन्तु अब रिकार्ड में समान नाम होने की महता अधिक होने से वादीगण को इसमें भारी दिक्कत आने लगी है एवं इस आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम गलत रूप से (सरोज देवी पत्नि राजकुमार व हेमन्त कुमार पुत्र राजकुमार) दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व वादीगण को यह रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत खोरा द्वारा भी दिनांक 04.09.2019 को प्रमाण–पत्र जारी किया हुआ है कि राधेश्याम व राजकुमार पुत्र रामकुमार एक ही व्यक्ति के नाम है। वादीगण के पति/पिता के राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात में अलग–अलग नाम की भिन्नता होने से वादीगण को इसमें भारी दिक्कत आ रही है। वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर वाद–पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृर्षि भूमियों ख.नं. 294, 297, 298 299 ता 306, 310 ता 316, 342, 343 किता 20 कुल रकबा 28.85 है0 वाके ग्राम नाडा पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण के खातेदारी हिस्सा 1/20, 1/20 में वादिया संख्या एक के पति व वादी संख्या दो के पिता का नाम राजकुमार को दुरूस्त कर इसके स्थान पर ''सरोज देवी पत्नि राजकुमार उर्फ राधेश्याम व हेमन्त कुमार पुत्र राजकुमार उर्फ राधेश्याम'' संशोधित कर इस आशय की उदघोषणा करवाये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वादपत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई।

3. बहस वकील वादी पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम राजकुमार दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में नाम राजकुमार उर्फ राधेश्याम दर्ज है। मौके पर जांच करने पर पाया कि मृतक के समस्त वारिशान के दस्तावेजों में मृतक का नाम राधेश्याम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि से स्पष्ट है कि वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। अतः **वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 294, 297, 298, 299 ता 306, 310 ता 316, 342, 343 किता 20 कुल रकबा 28.85 है0 वाके ग्राम नाडा पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादीगण का नाम सरोजदेवी पत्नि राजकुमार के स्थान पर सरोजदेवी पत्नि राधेश्याम उर्फ राजकुमार तथा हेमन्त पुत्र राजकुमार के स्थान पर हेमन्त पुत्र राधेश्याम उर्फ राजकुमार दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है। डिक्री जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner